कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-न-5(7)पु.फो./उ.नि भर्ती/2020/ 765 दिनांक-28 दिसम्बर 2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी वर्ष 2016 की विज्ञप्ति संख्या-5/ उ.नि. -पीसी./परीक्षा/2016-17 दिनांक 05.10.2016, शुद्धि पत्र संख्या-16/2018-19 दिनांक 25.07.2018, शुद्धि पत्र संख्या-28/2018-19 दिनांक 05.12.2018 एवं शुद्धि पत्र संख्या-08/2019-20 दिनांक 23.08.2019 के क्रम में आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त उप निरीक्षक/ प्लाटून कमाण्डर (सीधी भर्ती) हेतु सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 17 से 21 तक के अन्तर्गत तथा नियमों की अनुसूची में निहित शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की समस्त शर्तो की पूर्ति कर लेने एवं संयुक्त शासन सचिव गृह-(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(28)गृह-1/2015 दिनांक 14.06.2016, 05.10.2018, 25.07.2019 द्वारा प्रदत स्वीकृति के फलस्वरूप निम्न अभ्यर्थियों प्लाटून कमाण्डर (आरएसी) के पद पर **नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से दिनांक 06.01.2022 तक उपस्थिति देने** पर परिवीक्षा अवधि दो वर्ष के दौरान वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ-15(1) एफडी/ रूल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची iv की लेवल-11 में स्थिर पारिश्रमिक रूपये 26500/-प्रति माह पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

चतुर्थ नियुक्ति सूची

क्र. सं.	नाम मय पिता का नाम	मेरिट	गृह जिला	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता
1.	हरफूलजाट/सांवर लाल जाट	171	भीलवाडा	15-Aug-93	बीबीएम
2.	दिनेशकुमार/नाथूराम कुमावत	172	सीकर	17-Sep-87	बी.ए.
3.	कुलदीपसिंह/मुन्दराम गुर्जर	275	दौसा	20-Jan-94	बी.ए.
4.	गोपाललाल शर्मा/ अशोक शर्मा	936	प्रतापगढ	01-Jun-92	बी.एससी
5.	महेन्द्रराज/माधुराम पुरोहित	937	सिरोही	02-Apr-93	बीबीएम
6.	महेन्द्रदान चारण/भलेदान चारण	1622	बीकानेर	04-Dec-79	बी.ए.
7.	मनीराम रूलानिया/इन्द्राज रूलानिया	1626	चूरू	05-Aug-82	बी.ए.

संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान नियुक्त प्रोबेशनरों को वर्ग एवं नियुक्ति वर्ग आवंटन किया जावेगा।

परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची v के अन्तर्गत वेतन भत्ते नियमानुसार देय होंगे एवं नियुक्ति की दिनांक से राजस्थान अंशदायी पेंशन नियम 2005 (प्रभावी दिनांक 01.01.04) के तहत अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.04 से पूर्व ही राजस्थान सरकार की सेवा में नियोजित है, उनके लिए विकल्प है कि वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशन परिलाभों हेतु विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।

इस आदेश के साथ अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र (AGREEMENT) व शपथ पत्र के प्रोफार्मा एवं ज्वॉईनिंग निर्देशों की प्रति संलग्न भेजी जा रही है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी रूपये 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र तैयार कर अपनी उपस्थिति देंगे। बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की उपस्थिति नही ली जायेगी। उपस्थिति के पश्चात बन्ध-पत्र पर अभ्यर्थी के पुनः हस्ताक्षर अद्योहस्ताक्षरकर्ता (अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) के समक्ष कराए जाकर सत्यापित किए जाएंगे।

अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप एवं ज्वाईनिंग नियमावली की प्रति भेजकर लेख है कि बन्ध-पत्र व शपथ पत्र की पूर्ति कर निर्धारित प्रोग्राम अनुसार प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में उपस्थित होवें तथा प्रशिक्षण के दौरान वर्दी खर्च एवं मैस एडवान्स हेतु रूपये 15000/-प्रशिक्षण संस्थान में जमा करावें।

अभ्यर्थी ज्वाईनिंग के समय कोविड वैक्सिन की कम से कम प्रथम डोज लगवाकर आयेंगे अथवा पिछले 72 घण्टे में की गई आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अभ्यथी दिनांक **06.01.2022** तक उपस्थित नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा, कि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस दिनांक के तुरन्त पश्चात् ही इनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाएंगे ।

उपरोक्त नियुक्तियां प्रोविजनल आधार पर प्रदान की जा रही है, जो उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में विभिन्न न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

ई.ओ.बी.नं.:/1284/2021

28/12/2021

(बिनीता ठाकुर)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवंपदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव गृह-(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(28) गृह-1/2015 दिनांक 14.06.2016, 05.10.2018, 25.07.2019 के क्रम में।
3. अति.महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय)/ (प्रशिक्षण)/ आर्म्ड बटालिययन्स, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि अभ्यर्थियों से ड्यूटी ज्वाईनिंग से पूर्व संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ पत्र पूर्ण भरवाने के पश्चात् नियमानुसार योग्य पाये जाने पर ही इनकी उपस्थिति रिपोर्ट लेंगे एवं इस कार्यालय को सूचित करायेंगे। इनके बन्ध-पत्र पूर्ण करवाकर हस्ताक्षर प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी सहित इस कार्यालय में भिजवाए, जिन्हें अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् इनकी निजी पत्रावली में रखा जाऐगा। बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र पूर्ण कर प्रस्तुत करने पर ही ज्वॉईन कराने का श्रम करें।
5. प्रभारी, वरिष्ठता सैल पुलिस मुख्यालय, राज., जयपुर ।
6. उप विधि परामर्शी, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
7. ई.ओ.बी./आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट बॉण्ड

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक .... माह .... सन 200..... को एक पक्ष के .... पद पर नियुक्त श्री ....पुत्र श्री...................... निवासी ....(जो इसमें आगे एतद पश्चात "प्रशिक्षार्थी" कहलावेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन श्री ....पुत्र श्री .... निवासी .... एवम् द्वितीय जामिन श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ....(जिन्हे इसमें आगे एतद पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थन राज्य के राज्यपाल (जिन्हें आगे एतद पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षार्थी को .... पद पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है .... की अवधि का प्रशिक्षण.............. और चूंकि सरकार इसमें आगे एतद पश्चात दी हुई शर्तो पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो का पूर्णत: पालन करने के लिए जामिन मजानत देंगें,

और चूंकि जामिन प्रशिक्षार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तो का पूर्णत: अनुपालन करने के लिए जमानत देने को सहमत हो गये है।

अत: अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि-

(1) कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को..............................के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षणा की व्यवस्था करने के विचार से एवम् कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद द्वारा सरकार के साथ संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षणा के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भीतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।

(2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लघन करते हुए कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन पृथक- पृथक रूप से और सामूहिक रूप से वह समस्त राशि सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्चे भी सरकार को लौटायेगें जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शामिल नही होगी;

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान दी हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पडेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियुक्ति पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपयुक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है-

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी..........................

साक्षी..........................

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी..........................

साक्षी..........................

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी..........................

साक्षी..........................

4 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति
5 है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य .... रूपये से कम नहीं है।
6

कलक्टर/सहायक कलक्टर/
परगनाधिकारी/तहसीलदार
के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु-इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान
7. प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।

A G R E E M E N T

In consideration of the Governor of Rajasthan, having agreed to appoint me as a Sub-Inspector in the Police Department.

I,--Son of ------------------------------------- hereby agree and undertake to :-

i) Serve in the Police Department for a period of not less than five years with effect from the date of completion of my training.

ii) carry out all duties entrusted to me and all lawful orders given to me by my superiors in rank.

iii) refund the cost of training in addition to the pay and allowances received by me in the event of tendering my resignation from the force for any reason or reasons what so over during period of my training or thereafter during the aforesaid period of five years and

iv) if I wish to resign before the expiry of the training period and five years thereafter I will submit my request in writing and will not withdrawn from my duties until I : am duly relieved.

2. I understand and agree that my services can be terminated :-

a) by the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of my training or probation.

b) by the Appointing Authority on my failure to pass the final examination of the initial training course.

Note:- The term pay and allowance used in clause (iii) above means the usual pay and allowances received by or accrued to him upto the date of his resignation.

Witness :

Signature of the Employee
Date--------------------------------
for and on behalf of the
Governor of Rajasthan.

Signature----------------------------
Designation-------------------------
Date----------------------------------
Place---------------------------------

ACCEPTED

(THE Appointing Authority)